

FORM NO. III

फॉर्म अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)


विनय कुमार पुत्र कुंजल कुमार चौक श्रीमन्मथान जारि अहीर नि:0 भाजरा तह:0 नीमराना जिला अलवर जरिये
सरपरस्त भाता शिर्वा देही जारि अहीर नि:0 भाजरा तह:0 नीमराना

बनाम

श्रीमन्मथान पुत्र लक्ष्मीनारायण जारि अहीर नि:0 भाजरा तह:0 नीमराना वगै:0

दिनांक मुकदमा नम्बर/आरटी/रकत नं० 88 सन 12.06.2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>12.06.2018 आज यह पत्रावली मूल यादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात प्रार्थी के पक्ष में सुविधा संतुलन, अपूर्णोप कृति आदि होना पृथम दृष्टया प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जबाब पेश करने तक अस्थायी निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 934, 941, 963, 1134/1443, 1369 कुल किता 05 वाके ग्राम भाजरा तह:0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान में प्रार्थी के हिस्से तक के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। वास्ते तलबी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड तामिल जारी हो। रजिस्टर्ड तामिल नही होने की दशा में स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 05.07.2018 को पेश हो।</p>	<p>पत्र</p> <p>पत्र</p>


उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

तारीख हुकम

11-12-23 आज यह पत्रवाली पेश हुई है।
कोर्ट में पेश करने के लिए
दिनांक 14-12-23 को पेश हो।

14-12-23

आज यह पत्रवाली पेश हुई है।
कोर्ट में पेश करने के लिए
दिनांक 20/12-23 को पेश हो।

उप जिला क्लर्क
नीमराना (अपना)

20-12-23

आज यह पत्रवाली पेश हुई है।
कोर्ट में पेश करने के लिए
दिनांक 23/12/24 को पेश हो।

उप जिला क्लर्क
नीमराना (अपना)

5-3-24

आज यह पत्रवाली पेश हुई है।
कोर्ट में पेश करने के लिए
दिनांक 23/12/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूरा-बहरोडा)

नोट
दिनांक